बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018

प्रेषक,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार फाउण्डेशन हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक राज्यादेश संख्या–1466 दिनांक–11.10.2017 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने बिहार फाउण्डेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. बिहार फाउण्डेशन का गठन राज्य के औद्योगिक वातावरण में सुधार एवं अप्रवासी भारतीय/बिहारी समुदाय से पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत विभिन्न तरह के कार्य हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना, विकास तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रबंध एवं प्रशासक की व्यवस्था से संबंधित कार्य पटना चैप्टर एवं अन्य स्थापित किये गये चैप्टरों पर होने वाले व्यय का वहन किये जाने का प्रस्ताव है। बिहार फाउण्डेशन सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत निबंधित संस्था है। वर्ष 2018–19 में भारत के अन्य शहरों में नये चैप्टर का शुभारंभ करने का प्रस्ताव है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार फाउण्डेशन के स्थापनात्मक व्यय एवं अन्य कार्य हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र बजट उपबंध प्राप्त है।

3. **बजट शीर्ष एवं बजट की उपलपब्धताः**– मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0164 बिहार फाउण्डेशन, विपत्र कोड–23–2852801020164, विषय शीर्ष–0164.31.04 सहायक अनुदान–वेतन में ₹ 50.00 (पचास) लाख एवं 0164.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन में ₹ 150.00 (एक सौ पचास) लाख अर्थात कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित किया जायेगा जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा बिहार फाउण्डेशन को उपलब्ध करायेगें। वित्त विभागीय पत्रांक–8244, दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनाक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकारा, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

8. इस योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018 के पृ0–09/टि0 पर दिनांक 04.01.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. 'वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....133..../पटना, दिनांक–....11.01.19....
सं0सं0– 4तक0/बिहार फाउण्डेशन/06/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11/1/19